आयुष्मान भारत,मध्य प्रदेश
दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्
आई.ई.सी. ब्यूरो, जे.पी. अस्पताल परिसर
भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक. सी.ईओ./ए.बी./2018/38 भोपाल, 12/09/2018

प्रति,

समस्तमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
म.प्र.।

समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
म.प्र.।

विषयः— **चिकित्सालयों में आयुष्मान कक्ष स्थापना हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।**

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नागरिकों की सुविधा के लियें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित अस्पतालों में स्थापित किये जाने वाले आयुष्मान कक्ष हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें:—

- चिकित्सालय भवन में कम से कम 10 X10 वर्गफिट आकार का कक्ष अथवा स्थान चयनित करें।
- यदि इस आकार का पूर्व से निर्मित कक्ष उपलब्ध है तो उसे ही **'आयुष्मान कक्ष'** के रूप में सुसज्जित किया जाये।
- यदि पूर्व निर्मित कक्ष उपलब्ध नहीं हो तो बरामदे, हॉल आदि में उक्त आकार का स्थान चिन्हित कर उसमें कियोस्क लगाकर अथवा आयरन या एल्यूमिनियम से फेब्रिकेशन करवाकर **'आयुष्मान कक्ष'** तैयार करवायें।
- यह कक्ष अथवा स्थान सहजता से दिखे ऐसी जगह स्थित होना चाहिए यथा ओ.पी.डी. के निकस्थ स्थान पर हो। ध्यान रखे कि भवन के किसी दूरस्थ कोने में न हो जहां पहुंचना कठिन हो।
- इस कक्ष में कम से कम 2.5X4 वर्गफिट आकार की टेबल, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर रखा जाना है, तद्नुसार स्थान तैयार करें।
- कम्प्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाये।
- आयुष्मान मित्र के बैठने के लिए एक कुर्सी टेबल के एक तरफ तथा मरीज तथा उनके परिजनों के बैठने के लिए दो—तीन कुर्सियां टेबल के दूसरी तरफ हों।

- कक्ष में पंखा अथवा कूलर उपलब्ध हो।
- कक्ष के बाहर **'आयुष्मान कक्ष'** का स्पष्ट बोर्ड लगा हो।
- कक्ष के बाहर योजना का नाम एवं अन्य जानकारियों पर आधारित फ्लेक्स संलग्न प्रारूप के अनुरूप लगे हों।
- उक्त फ्लेक्स उच्च गुणवत्ता के (340 जीएसएम स्टार मीडिया) के हों।
- संलग्न प्रारूप में प्रयोग किये गये डिजाइन अथवा रंगों को बदला न जाये।
- ओ.पी.डी. स्थल से आयुष्मान कक्ष तक आसानी से लोग पहुंच सकें इस हेतु आवश्यक संकेतक बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।
- आयुष्मान मित्र RMO/Medical Cordinator का नाम तथा मोबाईल नंबर भी **'आयुष्मान कक्ष'** के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि यदि आयुष्मान मित्र कक्ष में या सीट पर नहीं है तो उसे बुलाया जा सके।
- इस कियोस्क में आवश्यक आईईसी सामग्री यथा पेम्फलेट इत्यादि भी रखे जाए।
- कियोस्क हेतु स्पेशिफिकेशन एवं आईईसी सामग्री के प्रारूप संलग्न है। यह आपके ई–मेल पर भी प्रेषित किये गए है।

(भास्कर लाक्षाकार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल, दिनांक 12/09/2018

पृ.क्र. सी.ईओ./ए.बी./2018/39
प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय म.प्र.।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Subject: **Photo from ashish choubey**
To: ayushman.bharat@mp.gov.in
Date: 09/12/18 04:44 PM
From: Ashish Choubey <ashishchoubey.iec@gmail.com>

IMG-20180911-WA0110.jpg (163kB)

—IMG-20180911-WA0110.jpg—

निरामयम्

आयुष्मान मध्यप्रदेश

Subject: **Photo from ashish choubey**
To: ayushman.bharat@mp.gov.in
Date: 09/12/18 05:50 PM
From: Ashish Choubey <ashishchoubey.iec@gmail.com>

IMG-20180912-WA0125.jpg (262kB)

— IMG-20180912-WA0125.jpg —

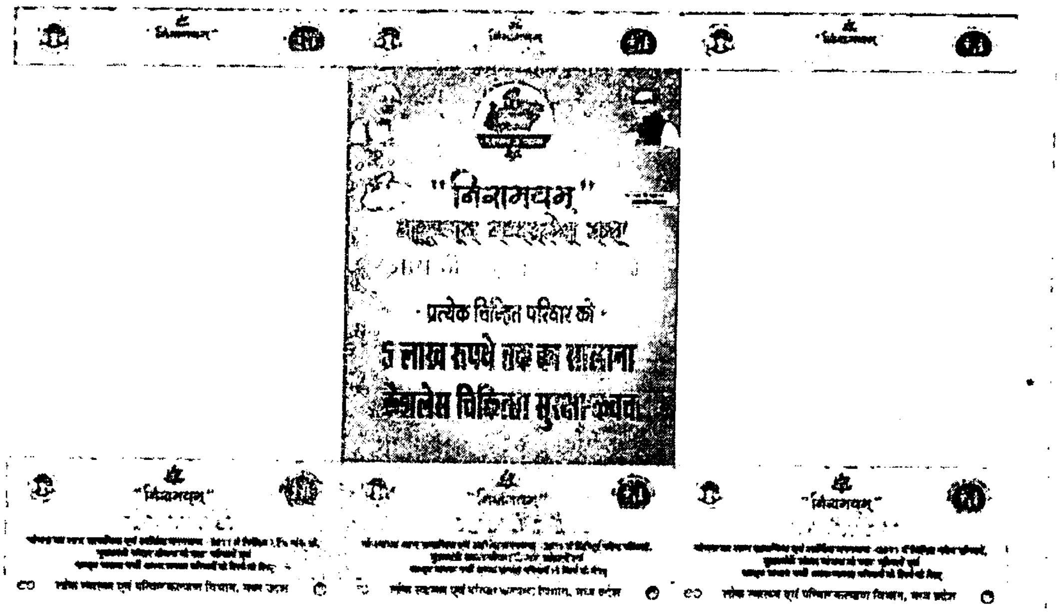

Subject: **_Photo from ashish choubey_**
To: ayushman.bharat@mp.gov.in
Date: 09/12/18 05:46 PM
From: Ashish Choubey <ashishchoubey.iec@gmail.com>

IMG-20180912-WA0127.jpg (364kB)

—IMG-20180912-WA0127.jpg—